(वाद संख्या–3927/18)

28.06.2021

परिवादी, अमर सिंह उर्फ जय प्रकाश यादव, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी को जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि वह जे0 पी0 आन्दोलन में शामिल था जिसमें उसके खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज की गयी तथा वह जेल भी गया था। परिवादी का यह भी कथन है कि वह जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना के पात्रता के सभी शर्त्तों का पूरा करता है लेकिन इसके बावजूद भी उसे सरकार द्वारा जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

परिवादी के परिवाद पत्र पर बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा), सलाहकार पर्षद, जे0 पी0 सम्मान योजना कार्यालय, पटना के सचिव द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के द्वारा विभाग में अपना आवेदन तथा उसके साथ जो शपथ पत्र संलग्न कर समर्पित किया गया है जिसमें उन्होनें अपना नाम ‘‘अमर सिंह उर्फ जयप्रकाश यादव उर्फ राम प्रकाश यादव उर्फ रामप्रवेश यादव, पिता स्व0 जागो सिंह उर्फ जागो यादव’’ अंकित किया गया है इस प्रकार परिवादी ने अपना स्वयं का चार नाम तथा पिता का दो नाम संसूचित किया गया है, जो बिल्कुल असमान्य और संदेहास्पद है। सचिव द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि भीषण बाढ़ में उपकारक खगड़िया का सभी कारा अभिलेख नष्ट हो गया था। तत्कालीन जिला पदाधिकारी खगड़िया द्वारा जिला स्तरीय एक समिति बनाकर जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के बारे में गृह विभाग विशेष शाखा को भेजा गया था। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा किसी दावेदार के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जे0 पी0 सम्मान पेंशन योजना पाने के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार को कम–से–कम डी0आई0 आर0/मीसा के अंतर्गत एक माह से अधिक कारा में संसीमित रहना होगा।

उपरोक्त के आलोक में परिवादी के मामले पर उप मुख्यमंत्री–सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित सलाहकार पर्षद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी की ओर से अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा राज्य आयोग को अपने चार नामों के संबंध में कोई युक्तिसंगत कारण नहीं दर्शाया गया।

अब, जबकि परिवादी के दावे पर नियामानुसार सलाहकार पर्षद के समक्ष विचार कर परिवादी के दावे को अस्वीकृत किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक